- **Name of Teacher: Dr. Ravi Agarwal**
- **Mob. No.: 9451176185**
- **Email Id: draviecontent@gmail.com**
- **Designation: Assistant Professor**
- **University: Lucknow University, UP**
- **College: Maharana Prtap Government PG College, Hardoi**

- **Stream: Commerce**
- **Faculty: Commerce**
- **Department: Commerce**
- **Subject: Money, Banking and Financial System**
- **Course Duration: 3 Years**
- **Sub Topic: Monetary Policy and Credit Control**
- **Type: PDF**
- **Search Keyword: Monetary Policy, Credit Control, Moudrik niti, sakh Niyantran**

Self-Declaration

The content is exclusively meant for academic purposes and for enhancing teaching and learning. Any other use for economic/commercial purpose is strictly prohibited. The users of the content shall not distribute or disseminate or share it with anyone else and its use is restricted to advancement of individual knowledge. The

information provided in this e-content is authentic and best as per my knowledge.

मौद्रिक नीति एवं साख नियंत्रण के उपकरण

डा. रवि अग्रवाल

प्रस्तुत विषय सामग्री की रूपरेखा- मौद्रिक नीति का अर्थ, मौद्रिक नीति का उद्देश्य, मौद्रिक नीति के प्रमुख तत्व या विशेषताएं एवं सीमाएं, भारत में मौद्रिक नीति की वर्तमान व्यवस्था, साख नियंत्रण के उपकरण, मात्रात्मक या अप्रत्यक्ष उपकरण, गुणात्मक या प्रत्यक्ष उपकरण, विस्तारक मौद्रिक, प्रतिबंधात्मक और तटस्थ मौद्रिक नीति।

अध्ययन के उदेश्य:- प्रस्तुत विषय सामग्री का अध्ययन करने के उपरान्त आप मौद्रिक नीति का अर्थ, उदेश्य, विशेषताएं एवं भारत में इसकी वर्तमान व्यवस्था से परिचित होंगे। इसके अतिरिक्त साख नियंत्रण के विभिन्न उपकरण, अर्थव्यवस्था की विभिन्न दशाओं में इन उपकरणों का प्रयोग तथा मौद्रिक नीति के विभिन्न प्रकार को समझ सकेंगे।

मौद्रिक नीति का अर्थ

किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने की नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। प्रत्येक देश का केंद्रीय बैंक यह नीति बनाता है। केन्द्रीय बैंक की साख नीति को ही मौद्रिक नीति कहा जाता है। भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा बनायी जाती है।
मौद्रिक नीति के माध्यम से देश का मौद्रिक प्राधिकारी (Monetary Authority) विशेषकर उस देश का केन्द्रीय बैंक देश की अर्थव्यवस्था में ब्याज़ दरों पर नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है, जिससे वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों में स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था को विकास की ओर अग्रसर किया जा सके।

मौद्रिक नीति का उद्देश्य-

मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य सामान्य आर्थिक नीति के उदेश्यों से सम्बंधित होते हैं। राष्ट्र की आर्थिक नीतियों में परिवर्तन होने पर मौद्रिक नीति भी परिवर्तित होती है। सामान्यतः मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, नये मौद्रिक व वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा देना और पोषण करना मौद्रिक नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्य माने जाते हैं। अत: मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. मूल्य स्थिरता के साथ विकास

2. रोजगार सृजन

3. सुनियोजित आर्थिक वृद्धि

4. भुगतान शेष संतुलन

भारत जैसे विकासशील देश में मौद्रिक नीति के प्रमुख तत्व या विशेषताएं-

1. मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि

2. नवीन एवं सुदृढ़ वित्तीय संस्थाओं की स्थापना

3. सरल, सुरक्षित एवं सुदृढ़ भुगतान संरचना का विकास

4. संगठित मुद्रा बाजार की स्थापना

5. मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण

6. आवश्यक क्षेत्रों के लिए सस्ती ब्याज दर नीति

भारत जैसे विकासशील देशों में मौद्रिक नीति की सीमाएं

1. अविकसित मुद्रा एवं पूंजी बाजार

2. बड़ी जनसंख्या में बैंकिंग आदतों का अभाव

3. मुद्रा बाजार में देशी बैंकरों एवं साहूकारों का वर्चस्व

4. वित्तीय साक्षरता का अभाव

5. बैंक मुद्रा में कमी होना

6. बैंकिंग अधिकारियों द्वारा सहयोग में अरुचि

भारत में मौद्रिक नीति की वर्तमान व्यवस्था-

मौद्रिक नीति की नयी व आधुनिक व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से वित्त विधेयक-2016 के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB में बदलाव किया गया। वर्तमान में मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर की अध्यक्षता वाली एक 6 सदस्सीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा किया जाता है।

- मौद्रिक नीति समिति में 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से एवं 3 केन्द्र सरकार की ओर से नियुक्त किये जाते हैं। ये सदस्य 4 साल के लिये नियुक्त किये जाते हैं।
- मौद्रिक नीति समिति किसी भी मुद्दे पर बहुमत के आधार पर फैसला करती है। हर सदस्य को एक-एक मत का अधिकार होता है। बराबर मत की स्थिति में रिजर्व बैंक के गवर्नर का मत निर्णायक होता है।
- तदनुसार, केंद्रीय सरकार ने सितम्बर 2016 को सर्वप्रथम मौद्रिक नीति समिति का गठन किया तथा 5 अक्टूबर, 2020 को मौद्रिक नीति समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया :

  1. भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर –**पदेन अध्यक्ष;**
  2. मौद्रिक नीति का प्रभारी उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक –**पदेन सदस्य;**
  3. केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी –**पदेन सदस्य;**
  4 प्रो. अशिमा गोयल, प्रोफेसर, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च–**सदस्य;**
  5. प्रो. जयंत आर. वर्मा, प्रोफेसर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद– **सदस्य** और
  6. डॉ. शशांक भिडे, वरिष्ठ सलाहकार, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, दिल्ली–**सदस्य**

  (उपर्युक्त 4 से 6 पर संदर्भित सदस्य चार वर्ष की अवधि या अगले आदेश आने तक, जो भी पहले हो, पद पर रहेंगे।)

  - एम.पी.सी. से वर्ष में कम से कम चार बैठक करना अपेक्षित है।
  - एम.पी.सी. की बैठक के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या (कोरम) चार सदस्यों की है।
  - एम.पी.सी. के प्रत्येक सदस्य का एक वोट है तथा वोटों के समान रहने की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या कास्टिंग वोट होता है।

मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख नियंत्रण के उपकरण या विधियाँ-

मौद्रिक नीति में देश का केन्द्रीय बैंक मुख्यतः मुद्रा व साख की मात्रा का नियमन व नियत्रंण करता है। अत: मौद्रिक नीति साख नियंत्रण के उपायों से संबंध रखती है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत केन्द्रीय बैंक या भारत में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो विधियां प्रयोग में लायी जाती हैं, उन्हें ही साख नियंत्रण की विधियाँ या उपकरण भी कहा जाता है। साख नियंत्रण की विधियों को प्रमुख रूप से दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है- (i) मात्रात्मक या सामान्य विधियाँ, एवं (ii) गुणात्मक या विशिष्ट विधियाँ। मात्रात्मक विधियों को अप्रत्यक्ष व गुणात्मक विधियों को प्रत्यक्ष विधि भी कहा जाता है।

साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपायों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में साख की कुल मात्रा को प्रभावित करना होता है, जबकि गुणात्मक उपायों का उद्देश्य साख की मात्रा को प्रभावित किये बिना साख के उपयोग को प्रभावित करना होता है। केंद्रीय बैंक आवश्यकतानुसार विभिन्न उपायों का प्रयोग कर सकता है किन्तु सामान्यतः मात्रात्मक या अप्रत्यक्ष उपायों का प्रयोग अधिक किया जाता है।

मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण के उपकरण या विधियाँ
(Instruments of Monetary Policy or Credit Control)

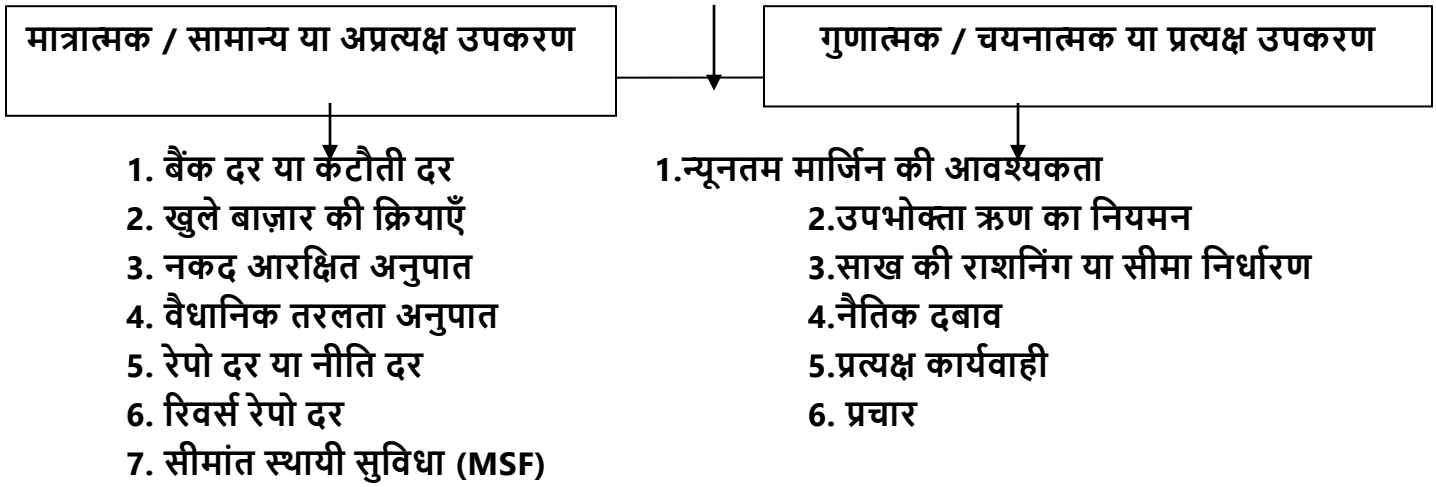

मात्रात्मक / सामान्य या अप्रत्यक्ष उपकरण
(Quantitative / General or Indirect Instruments)

1. बैंक दर– (Bank Rate)

वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से दीर्घावधि के लिए ऋण प्राप्त करते हैं, बैंक दर कहलाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक इस दर पर विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को क्रय या विनिमय किया जाता है। बैंक दर, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की धारा 49 के अंतर्गत निश्चित की जाती है।

मुद्रा स्फीति के समय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को कम करने के लिए बैंक दर में वृद्धि की जाती है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाए और वो कम मात्रा में ऋण ले सके। मंदी या मुद्रा संकुचन की स्थिति में बैंक दर में कमी की जाती है।

2. खुले बाज़ार की क्रियाएँ Open Market Operation (OMO)

खुले बाज़ार की क्रियाओं से आशय भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय, विक्रय खुले बाजार अर्थात मुद्रा बाज़ार में करने की प्रक्रिया से है, जिससे चलन में मुद्रा की मात्रा नियंत्रित रहे। सरकारी प्रतिभूतियों से आशय केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अपनी ऋण आवश्यकता की पूर्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की जाने वाली विभिन्न अल्पकालीन, मध्यम्कालीन एवं दीर्घकालीन प्रतिभूतियों से है। यह प्रतिभूतियां पूर्णत: सुरक्षित होती हैं। मुद्रास्फीति की दशा में केन्द्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करता है एवं मंदी या मुद्रा संकुचन की अवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करता है। यह क्रय-विक्रय केन्द्रीय बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों व साख सुविधा उपलब्ध कराने वाली वित्तीय संस्थओ के मध्य होता है।

मुद्रा स्फीति के समय भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी नीति बनाता है, कि बाजार में मुद्रा का चलन कम हो जाए। इसीलिए मुद्रा स्फीति के समय भारतीय रिजर्व बैंक अपने पास रखी सरकारी प्रतिभूतियों को वाणिज्यिक बैंकों को इस शर्त पर बेचता है, कि वह (RBI) एक निश्चित समय के पश्चात क्रेता बैंक को एक निश्चित ब्याज के साथ धनराशि लौटाकर अपनी प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेगा।
इस प्रकार जब वाणिज्यिक बैंक प्रतिभूतियों का क्रय करते हैं, तो उनके पास जनता को ब्याज पर ऋण देने के लिए कम मात्रा में नकद बचता है। परिणामस्वरूप वाणिज्यिक बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा देते हैं, जिसके कारण व्यवसायी व उपभोक्ता कम ऋण लेते हैं, और देश में मुद्रा की मात्रा चलन में कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप रोजगार में कमी होगी एवं कर्मचारियों की छंटनी होगी या वेतन में वृद्धि नही होगी व लोगों के द्वारा अपने खर्च में कटौती की जाएगी। आय में कमीं आने के कारण वस्तु व सेवा की मांग में कमीं आएगी जिससे बाजार में वस्तुओं के मूल्य में कमीं आएगी और अंततः मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण होगा।

3. नकद आरक्षित अनुपात Cash Reserve Ratio (CRR)-

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद **(Cash)** रूप में रखना पड़ता हैं। इसे ही नकद आरक्षित अनुपात (CRR) कहते है। यह अनुपात (CRR) कुल जमाओं का न्यूनतम 3% तथा अधिकतम 15% हो सकता हैं। इस धनराशि पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंको को ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। नकद आरक्षण अनुपात में कमी करने से बैंकों के पास ऋण देने के लिए आधिक मुद्रा उपलब्ध हो जाती है, जिससे साख की मात्रा में वृद्धि होती है। नकद आरक्षण अनुपात में वृद्धि करने से साख की मात्रा में नियंत्रण होता है क्योंकि बैंकों को अपेक्षाकृत कम मात्रा में मुद्रा ऋण देने के लिए उपलब्ध होती है।

4. वैधानिक तरलता अनुपात Statutary Liquidity Ratio (SLR)-

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको को सकल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास **नकद (Cash)**, **स्वर्ण (gold)**, या **सरकारी प्रतिभूतियों (government securities)** के रूप में रखना पड़ता हैं। इसे ही वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) कहते है। यह सकल जमाओं का अधिकतम 40% तक हो सकता हैं। इसके अंतर्गत वाणिज्यिक बैंक अधिकतर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज प्राप्त होता है। इसका प्रयोग सरकार की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) में वृद्धि करने से बैंकों की निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे साख का नियंत्रण होता है।

5. रेपो दर या नीतिगत दर (Repo Rate or Policy Rate)—

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में रेपो दर का प्रमुखतः से प्रयोग किया जाता है इसे नीतिगत दर भी कहते है। वह ब्याज दर जिस पर, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने ग्राहकों जैसे- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान को लघु अवधि (सामान्यतः 14 दिन) के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं, उसे रेपो रेट कहते हैं। इस ऋण को लेने के लिए बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को RBI के पास रखना होता हैं। बैंक अपने SLR कोटा की सरकारी प्रतिभूतियों को RBI के पास नहीं रख सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी बैंक X को RBI से 100 करोड़ रुपए का ऋण लघु अवधि के लिए चाहिए तो बैंक X , RBI के पास जाएगा और 100 करोड़ रु. की सरकारी प्रतिभूतियां RBI को देकर 100करोड़ रुपए का ऋण रेपो दर पर प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस लेन देन में शर्त यह होगी कि बैंक X को अपनी वही प्रतिभूतियां RBI से 14 दिन के अंदर 105 करोड़ रुपए देकर वापस लेनी होंगी। (माना कि रेपो रेट 5% है)

वाणिज्यिक बैंक जनता को अल्पकालीन ऋण या साख सुविधा प्रदान करने के लिए रेपो दर को ध्यान में रखते हुए ब्याज दर निर्धारित करते हैं। अत: रेपो दर में वृद्धि होने पर अल्पावधि ब्याज दरें भी बढ़ जाती हैं, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके विपरीत मंदी की अवस्था में रेपो दर में कमी की जाती है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दरें भी कम हो जाती हैं परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है।

6. रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate)-

रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अल्पकाल के लिए अपने अतिरिक्त मुद्रा कोष को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं। यह रेपो रेट पर आधारित तथा हमेशा इससे कम होती है। रेपो दर में कमी होने पर रिवर्स रेपो दर भी कम हो जाती है एवं इसके विपरीत रेपो दर में वृद्धि होने पर यह भी बढ़ जाती है। बैंको को अपने द्वारा जमा की गयी राशि पर रिवर्स रेपो दर पर भारतीय रिजर्व बैंक से ब्याज प्राप्त होता है।

7. सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facilities, MSF)

सीमांत स्थायी सुविधा के अन्तर्गत कोई वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता कि आवश्यकताओं के लिए RBI से अतिलघु अवधि (overnight) के लिए ऋण लेती है। इस ऋण को लेने के लिए बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को RBI के पास रखना होता हैं। यहाँ पर बैंक अपने SLR कोटा की सरकारी

प्रतिभूतियों को भी RBI के पास रख सकती हैं। MSF भी रेपो दर पर आधारित होती है एवं हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होती हैं।

गुणात्मक / चयनात्मक या प्रत्यक्ष उपकरण
(Qualitative/ Selective or Direct Instruments)

1. न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता- (Minimum Margin Requirements)-

न्यूनतम मार्जिन या न्यूनतम सीमांत की आवश्यकता से आशय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सुरक्षित रखी जाने वाली प्रतिभूतियों के मूल्य की उस न्यूनतम प्रतिशत से है, जोकि ऋण की राशि से संबंधित होता है। अर्थात यह प्रतिभूतियों के मूल्य का वह अनुपात है, जिसके लिए बैंक द्वारा ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाती। माना किसी बैंक द्वारा न्यूनतम मार्जिन 40% निर्धारित किया गया है, तो किसी व्यक्ति द्वारा 1000 रुपये की प्रतिभूति बैंक में सुरक्षित रखने पर उसे बैंक से 600 रुपये ही ऋण दिया जाएगा। इस प्रकार केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के लिए न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता निश्चित की जाती है। मुद्रास्फीति होने पर देश में चलन में मुद्रा की मात्रा कम करने के उद्देश्य से न्यूनतम मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है। अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को अधिक साख सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताओं को कम भी किया जा सकता है। भारत में कृषि, लघु उद्योगों एवं आवास ऋण से संबंधित क्षेत्रों में साख सुविधा बढ़ाने के लिए न्यूनतम मार्जिन का स्तर कम रखा जाता है।

2. उपभोक्ता ऋण का नियमन- (Regulation of Consumer Credit)-

साख नियंत्रण की इस विधि में केंद्रीय बैंक के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता ऋणों का नियमन करते हुए चलन में मुद्रा को नियंत्रित किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय हेतु नगद भुगतान की सीमा एवं किश्त भुगतान की शर्तों में परिवर्तन के द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है। मुद्रास्फीति की दशा में केन्द्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंको व अन्य वित्तीय संस्थाओं की उपभोक्ता ऋण या साख से संबंधित शर्तों को कठोर कर दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता हतोत्साहित होते हैं और कम मात्रा में ऋण लेते हैं। इसके विपरीत मंदी के समय में उपभोक्ता साख से संबंधित शर्तों को उदार कर दिया जाता है, जिससे उपभोक्ता ऋण या साख सुविधा के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित होते हैं व वस्तुओं की उधार बिक्री सरल हो जाती है परिणामस्वरूप चलन में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है।

3. साख की राशनिंग या सीमा का निर्धारण- (Credit Rationing)-

इस विधि के अंतर्गत केंद्रीय बैंक किसी विशेष किस्म की साख या ऋण सुविधा के लिए साख की सीमा निर्धारित कर देता है। केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमाएं निश्चित कर दी जाती है। अर्थव्यवस्था के विकास हेतु जिस क्षेत्र के लिए अधिक साख की आवश्यकता होती है उसकी सीमा में वृद्धि कर दी जाती है। लोकतांत्रिक

अर्थव्यवस्थाओं में इसे अधिक पसंद नहीं किया जाता है, किंतु श्रेष्ठ आर्थिक नियोजन की आवश्यकता के लिए इसे अपनाया जाता है।

4. नैतिक दबाव- (Moral Suasion)-

इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर नैतिक रूप से दबाव बनाता है, कि वे मंदी काल में साख सुविधाओं का विस्तार करें तथा मुद्रास्फीति की दशा में कम मात्रा में ऋण उपलब्ध कराएं। केंद्रीय बैंक समय-समय पर व्यापारिक बैंकों को विशेष प्रकार की बैंकिंग नीति अथवा साख नीति का पालन करने का आग्रह करता है। केंद्रीय बैंक का सदैव प्रयास रहता है कि व्यापारिक बैंकों व केंद्रीय बैंक की साख नीति में समन्वय बना रहे, जिससे मौद्रिक स्थिरता एवं आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

5. प्रत्यक्ष कार्यवाही- (Direct Action)-

इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों पर साख नीति का पालन ना करने के कारण प्रत्यक्ष कार्यवाही जैसे आर्थिक दंड, वित्तीय सहायता उपलब्ध ना कराना, ऋण प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाना आदि की जा सकती है। वर्तमान लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं में इस विधि का प्रयोग कम ही किया जाता है।

6. प्रचार- (Publicity)-

इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नीति से संबंधित जानकारी का प्रचार जनसामान्य तक किया जाता है जिससे लोगों को विभिन्न साख सुविधाओं की जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रास्फीति काल में साख सुविधाओं से संबंधित प्रचार प्रसार कम कर दिया जाता है जबकि मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति में प्रचार बढ़ा दिया जाता है।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण के मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपाय एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों ही प्रकार के उपायों को आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया जाना चाहिए। केंद्रीय बैंक का यह उत्तरदायित्व होता है कि वह अपनी विशेषज्ञता एवं अनुभव के आधार पर साख नियंत्रण के विभिन्न उपायों का प्रयोग मूल्य स्थिरता एवं सतत आर्थिक विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित माध्यम से प्रयोग करें।

मौद्रिक नीति के प्रकार (विस्तारक मौद्रिक, प्रतिबंधात्मक और तटस्थ मौद्रिक नीति)

सरल या विस्तारक मौद्रिक नीति (Cheap or Expansionary Monetary Policy) - जब केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति में प्रमुख ब्याज दरों को कम करता है, साख नियंत्रण की शर्तों को उदार करता है एवं साख की मात्रा में वृद्धि की नीति अपनाता है, तो इसे सस्ती या विस्तारक मौद्रिक नीति कहा जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने का रास्ता खुल जाता है। मंदी की अवस्था में इस नीति का प्रयोग कर बाजार में नकदी बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां बढाने का प्रयास किया जाता है।

सख़्त या प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति (Strict/Dearer or Contractionary/Restrictive Monetary Policy)- मुद्रास्फीति की दशा में जब केंद्रीय बैंक अपना रुख कठोर करता है तो ब्याज दरों को बढ़ाया जाता है एवं साख नियंत्रण की शर्तों को कठोर किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा घट जाती है। इसका उत्पादन और उपभोग दोनों पर विपरीत असर होता है परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की रफ्तार घटती है। इस नीति का प्रयोग अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी प्रभावों को समाप्त करने के लिये किया जाता है। इसे सख़्त, महंगी या प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति कहा जाता है।

तटस्थ मौद्रिक नीति (Neutral Monetay Policy): जब मौद्रिक नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जाता तो इसे तटस्थ नीति कहा जाता है। सामान्य दशाओं में केन्द्रीय बैंक इस नीति को अपनाता है।

सन्दर्भ-

मिश्रा एवं पुरी, "भारतीय अर्थव्यवस्था"
रूद्रदत्त एवं सुन्दरम, "भारतीय अर्थव्यवस्था"
https://www.rbi.org.in/hindi/scripts/FS_Overview.aspx?fn=2746
https://youtu.be/C0ttYf_uDOY
https://youtu.be/YNuFb9AXiPM